पत्रावली पेश हुई।
आज दिनांक ... को ... होकर
पत्रावली ... 13/12/23 को पेश हो।

13/12/23

13/12/23

गुड़ामालानी दि. 13.12.2023

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनी। अपील 40 दिन की अभिधारण देरी से पेश की गई है तथा देरी का कोई ठोस कारण भी अपील के तथ्यों से अंकित नहीं किया है अतः अपील अपीलार्थ अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत अभिधारण देरी से पेश होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है पत्रावली निर्णित सुनाकर होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी